Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board
Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001
Phone: 01572-248009, e-mail: rorpcb.sikar@gmail.com

LiFE
Lifestyle for Environment

क्रमांकः–राप्रनिम / क्षे0का0 / सीकर / सामा–233 / 2025–26 / 330-31 दिनांकः 13/05/2025

निविदा / बोली सूचना संख्या –03 / 2025–2026

क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 की शेष अवधि के लिये निम्न सेवा उपलब्ध करवाने हेतु पंजीकृत बोलीदाता / संवेदको / फर्मो से निम्नानुसार निविदायें आमंत्रित की जाती हैः–

क्र. स.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित राशि [लाखो मे]	बोली प्रपत्र शुल्क	बोली प्रपत्र विक्रय की अन्तिम तिथि व समय	बोली प्रपत्र जमा की अन्तिम तिथि व समय	बोली प्रपत्र खोलने की तिथि व समय
1	04-(चार)- कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक	9.50	500	14.05.2025 कार्यालय समयानुसार	21.05.2025 कार्यालय समयानुसार	22.05.2025 प्रातः11.30 बजे
2	01-(एक) प्रयोगशाला परिचर (प्रयोगशाला हेतु)					
3	01-(एक) क्षेत्र सहायक (प्रयोगशाला हेतु)					
4	02-(दो)- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी					
5	01-(एक)- बागवान (अंशकालीन)					
6	02-(दो)- सफाई कर्मचारी (अंशकालीन)					

निविदा प्रपत्र एंव अन्य शर्ते www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखी व डाउनलोड की जा सकती है। डाउनलोड प्रपत्र उपयोग में लेने पर निविदा प्रपत्र शुल्क राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक जो (**Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board**) **Payable at Sikar** के नाम से प्रस्तुत करना होगा। अमानत राशि 19000 / – का डी.डी. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर के नाम से निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। सील बंद लिफाफे पर '' कम्प्यूटर ऑपरेटर विद मशीन, प्रयोगशाला परिचर, क्षेत्र सहायक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, बागवान, सफाई कर्मचारी (अंशकालीन) हेतु निविदा'' स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा। कार्यालय निर्धारित तकनीकी व

Signature valid
Digitally signed by Sa[illegible]ka
Designation: Environmental Engineer
Date: 2025.05.13 14:15:22 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15261350

वित्तीय बोली हेतु प्रपत्र, पृथक–पृथक लिफाफे में प्रस्तुत करने पर ही निविदा मान्य होगी। उपापन समिति द्वारा बोली स्वीकार करने/रद्द करने का निर्णय अंतिम होगा।

(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी
दिनांकः 13/05/25

क्रमांकः–राप्रनिम/क्षे0का0/सीकर/सामा–233/2025–26/330-31

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. प्रभारी अधिकारी, आईटी शाखा, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा को सम्बन्धित वेब साईट पर आज ही अपलोड करवाने का श्रम करावे।
2. नोटिस बोर्ड कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर ।

(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी

Signature valid

Digitally signed by Savita
Designation : Environmental Engineer
Date: 2025.05.13 14:15:22 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15261350

Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board
Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001
Phone: 01572-248009, e-mail: rorpcb.sikar@gmail.com

Annexure-I

तकनीकी बोली प्रपत्र
(लिफाफा न. 01)

कार्य का नाम – मानव संसाधन सेवाऐं कम्प्यूटर ऑपरेटर विद मशीन, प्रयोगशाला परिचर, क्षेत्र सहायक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, बागवान (अंशकालीन), सफाई कर्मचारी (अंशकालीन) हेतु निविदा

1. संदर्भ : क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म. सीकर की बोली सूचना
   संख्या – .... दिनांक ....
2. बोलीदाता /संवेदक का नाम :– ....
3. डाक का पता :– ....
   ....
4. फोन/मोबाईल नं. :– ....
5. ई–मेल :– ....
6. बैंक का नाम :– ....
   आईएफएससी कोड :– ....
   खाता संख्या :– ....
7. किसको सम्बोधित किया गया है। क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म, सीकर
8. बोली शुल्क रूपये - : (1) 500/– रू (पांच सौ मात्र)
   (2) जमा रसीद संख्या ....दिनांक.................../
   डीडी क्रमांक .... दिनांक ....राशि................
9. बोली प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें स्वीकार हैं,तथा उन पर हस्ताक्षर कर दिये गये है।
10. " कम्प्यूटर ऑपरेटर विद मशीन, प्रयोगशाला परिचर, क्षेत्र सहायक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, बागवान (अंशकालीन), सफाई कर्मचारी (अंशकालीन) हेतु निविदा" कार्य हेतु दरें प्राईस शिड्यूल में अंकित कर दी गई हैं।
11. अमानत राशि 19000/– का डी.डी. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर के नाम से निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर दिया गया है।
    डी.डी. न0..................... दिनांक..................... बैंक का नाम..
12. संलग्न प्राईस शिड्यूल मे वर्णित दरे बोली स्वीकृति से दिनांक **31.03.2026** तक मान्य होगी इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया भी जा सकेगा।
13. बोलीदाता/संवेदक द्वारा निम्नलिखित पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम्स में प्रस्तुत किया जावेगा तथा उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजो के साथ संलग्न करनी होगी।

Signature valid
Digitally signed by Savita
Designation: Environmental Engineer
Date: 2025.05.13 14:15:22 IST
Reason: Approved

क्र.सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवाकर (GST)				
5.	आयकर (पैन नम्बर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				
7	फर्म के अन्तिम तीन वित्तीय वर्ष (2022–23, 2023–24, 2024–25) के अंकेक्षित अंतिम खाते। Assessed Turn over 10 lacs or above				
8	ब्लैक लिस्टेड अथवा डिफॉल्टर नहीं होने सम्बन्धी 50 रू.के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र				
9	प्रमाणित बैंक खाता पासबुक/स्टेटमेन्ट की छायाप्रति				

14. बोलीदाता/संवेदक द्वारा गत वित्तीय वर्षो में राज्य प्रदूषण मण्डल के राजस्थान स्थित किसी भी कार्यालय में " कम्प्यूटर ऑपरेटर विद मशीन, प्रयोगशाला परिचर, क्षेत्र सहायक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, बागवान (अंशकालीन), सफाई कर्मचारी (अंशकालीन) " कम से कम 03 वर्ष निरन्तर सफलतापूर्वक उपलब्ध करवाये जाने का अनुभव होना आवश्यक है, जिसका निम्नलिखित विवरणानुसार निर्धारित कॉलम में अंकन कर संबंधित दस्तावेज की छायाप्रति पर स्वहस्ताक्षरित कर बोली दस्तावेजों के साथ आवश्यक रूप से लगाना होगाः–

क्र. सं.	विभाग/संस्थान का नाम	उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटर ऑपरेटर विद मशीन, प्रयोगशाला परिचर, क्षेत्र सहायक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, बागवान (अंशकालीन), सफाई कर्मचारी (अंशकालीन)का आंदेश विवरण एवं संख्या	उपलब्ध करवाये कम्प्यूटर ऑपरेटर विद मशीन, प्रयोगशाला परिच्रर, क्षेत्र सहायक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, बागवान (अंशकालीन), सफाई कर्मचारी (अंशकालीन)की समयावधि	संबंधित विभाग /संस्थान से जारी संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र का अंकन
1				
2				
3				

Signature valid
Digitally signed by Savita
Designation : Environmental Engineer
Date: 2025.05.13 14:15:22 IST
Reason: Approved

15. मै/हम क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर द्वारा जारी की गई बोली/निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक.............. दिनांक .... में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न बोली दस्तावेजों में दी गई उक्त खुली बोली आमंत्रण सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है।

16. संवेदक /बोलीदाता द्वारा बोली दस्तावेजों से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न कर दिये गये है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

नाम ....

मोबाईल न. –

Signature valid

Digitally signed by Savita
Designation : Environmental
Engineer
Date: 2025.05.13 14:15:22 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15261350

Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board
Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001
Phone: 01572-248009, e-mail: rorpcb.sikar@gmail.com

LiFE Lifestyle for Environment

Annexure-II

(लिफाफा न. 02)
(वित्तीय बोली प्रपत्र)

कार्य का नाम – मानव संसाधन सेवाऐं कम्प्यूटर ऑपरेटर विद मशीन, प्रयोगशाला परिचर, क्षेत्र सहायक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, बागवान (अंशकालीन), सफाई कर्मचारी (अंशकालीन) हेतु निविदा"

क्र. सं.	सेवा का नाम	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी। मय संख्या				EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	समग्री राशि / उपकरण किराया (प्रतिमाह प्रति ईकाई रू)	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (प्रतिमाह प्रति ईकाई रू)	कुल राशि रू
		श्रमिक की श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी दर (प्रतिमाह प्रति ईकाई रू)	श्रमिकों की संख्या (प्रति ईकाई)	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर					
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1	04-(चार)-कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक	उच्च कुशल	9334/– (प्रति कार्मिक)	04 (चार)		13.00%	3.25%			
2	01-(एक) प्रयोगशाला परिचर (प्रयोगशाला हेतु)	कुशल	8034/– (प्रति कार्मिक)	01-(एक)		13.00%	3.25%	–		
3	01-(एक) क्षेत्र सहायक (प्रयोगशाला हेतु)	कुशल	8034/– (प्रति कार्मिक)	01-(एक)		13.00%	3.25%	–		
4	02-(दो)-चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	अकुशल	7410/– (प्रति कार्मिक)	02 (दो)		13.00%	3.25%	–		
5	01-(एक)-बागवान (अंशकालीन आधार पर)	कुशल	4017/– (प्रति कार्मिक)	01 (एक)		13.00%	3.25%			

Signature valid
Digitally signed by Savita
Designation : Environmental Engineer
Date: 2025.05.13 14:15:22 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15261350

6	02-(दो)- सफाई कर्मचारी (अंशकालीन आधार पर)	अर्द्धकुशल	3861/– (प्रति कार्मिक)	02 (दो)		13.00%	3.25%	–		

1. उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ संख्या 1 से 4, 6 व 7 तक की पूर्तियां इस कार्यालय द्वारा की जाकर बोली दस्तावेजों में ही अंकित कर उपलब्ध कराई गई है तथा केवल स्तम्भ संख्या 5, 8, 9 एवं 10 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां अंकित की जायेगी।
2. संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर (GST) राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।
3. कॉलम सं0 09 में देय राशि न्यूनतम 1/– रूपये से कम नही भरी जावे। राशि शुन्य या ऋणात्मक या 1/– रूपये से कम अंकित होने पर निविदा को अस्वीकृत कर दिया जावेगा। राशि पूर्णाक में ही भरी जावे।
4. न्यूण्तम का निर्धारण कुल लागत के आधार पर किया जावेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर
नाम –

Signature valid
Digitally signed by Sa[illegible]a
Designation: Environmental Engineer
Date: 2025.05.[illegible]4:15:22 IST
Reason: Approved

निविदादाता द्वारा धोषणा पत्र

50 रू.के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र

मै/हम धोषणा करते हैं कि मै/हमने बोली की समस्त जानकारी/शर्तों का अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मै /हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि मै/हम उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है एंव वास्तव में बोली में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है। वाछिंत मशीन/उपकरण/प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध है तथा RTPP अधिनियम की धारा 46 एंव RTPP नियम के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिये विवर्जित (debarred) नहीं हैं। यदि यह धोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति या अन्य जमा राशि को पूर्ण रूप से समपहत कर लिया जाएगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रदद कर दिया जाऐ।

निविदादाता के हस्ताक्षर एंव मोहर
नाम
पूर्ण पता
मो.नम्बर

Signature valid
Digitally signed by Savita
Designation : Environmental Engineer
Date: 2025.05.13 14:15:22 IST
Reason: Approved

General Trems& Conditions of Bid & Contract:-

कार्य का नाम – मानव संसाधन सेवाऐं कम्प्यूटर ऑपरेटर विद मशीन, प्रयोगशाला परिचर, क्षेत्र सहायक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, बागवान (अंशकालीन), सफाई कर्मचारी (अंशकालीन) हेतु निविदा"

Important Instructions :- The law relating to procurement " The rajasthan transparency in public procurement act, 2012" {hereinfafter called the act} and the rajasthan transparency in public procurement rules, 2013" {hereinfafter called the rules} under the said act have come into force which are available on the website of state public procurement portal http://sppp.raj.nic.in. Therfore, the bidders are advised to acquaint themselves will the provisions of the act and the rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the procision of the act and the reles and this bidding document, the provision of the act and the rules shall prevail

1. बोलीदाता को बोलियॉ पृथक–पृथक लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। प्रथम लिफाफा जिस पर " कम्प्यूटर ऑपरेटर विद मशीन, प्रयोगशाला परिचर, क्षेत्र सहायक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, बागवान (अंशकालीन), सफाई कर्मचारी (अंशकालीन) हेतु निविदा" के लिए तकनीकी बोली अंकित हो मय बोली अमानत राशि 19000/– का डीडी क्षेत्रिय अधिकारी राजस्थान प्रदूपण नियन्त्रण मण्डल सीकर के नाम देय बोली के साथ आवश्यक है। तकनीकी बोली में वर्णित दस्तावेज, जिसमें वर्णित समस्त शर्तो के सभी पृष्ठों पर बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर किये गये हो/होने चाहिए। द्वितीय लिफाफा जिस पर " कम्प्यूटर ऑपरेटर विद मशीन, प्रयोगशाला परिचर, क्षेत्र सहायक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, बागवान (अंशकालीन), सफाई कर्मचारी (अंशकालीन) हेतु निविदा" के लिए वित्तीय बोली अंकित हो मे प्राईस शिड्यूल में दरें अंकित कर प्रस्तुत करना होगा। तकनीकी एवं वित्तीय बोलियो के लिफाफे एक बडे लिफाफे में बन्द कर लिफाफे पर " कम्प्यूटर ऑपरेटर विद मशीन, प्रयोगशाला परिचर, क्षेत्र सहायक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, बागवान (अंशकालीन), सफाई कर्मचारी (अंशकालीन) हेतु निविदा" अंकित कर प्रस्तुत करने होंगे।
2. **बोलीदाता को इस बोली आमंत्रण सूचना प्रपत्र के साथ संलग्न Annexure I & II अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर कर संलग्न करने होंगे।**
3. **तकनीकी रूप से सफल बोलीदाताओं की ही वित्तीय बोली खोली जावेगी।**
4. कार्य के समय लागू जी0एस0टी0 की दरे अतिरिक्त देय होगी।
5. **बोलीयां उचित रूप से मोहर बंद लिफाफे में प्रेषित की जायेगी। तकनीकी बोली-प्रपत्र में वर्णित बिन्दु संख्या 13 में 1 से 10 तक के प्रमाण पत्र बैक खाता विवरण एवं , बोली प्रपत्र एंव शर्तें मय हस्ताक्षरित रखी जावेगी।**
6. 01 से अधिक बोलीदाता की दरें यदि न्यूनतम व समान है तो सर्वप्रथम गत् 03 वर्षों के अनुभव , औसत Turnover अधिक राशि वाली फर्म को प्राथमिकता दी जायेगी तदोपरांत स्थानीय (सीकर स्थित) फर्म को प्राथमिकता दी जायेगी। यदि दो स्थानीय फर्म की दरें समान है तो इस सम्बन्ध में उपापन समिति का निर्णय अंतिम होगा व सभी बोलीदाताओं को मान्य होगा।
7. बोलीदाता को अपने बैंक खाते का विवरण मय बैंक का नाम ,ब्रांच का नाम, आईएफएससी कोड एंव बैंक खाता संख्या संलग्न करना होगा।
8. फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना को लिखित रूप से क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर को अविलम्ब संसूचित किया जावेगा तथा इस परिवर्तन से संविदा/बोली के अधीन किसी भी दायित्व से पूर्ववर्ती फर्म एवं उसके पूववर्ती सदस्यों को मुक्त नहीं किया जावेगा।
9. संविदा के संबंध में नई फर्म के तब तक कोई नया/नये भागीदार स्वीकार नही किया जायेगा/किये जावेगां जब तक की वह/वे समस्त निबन्धों और शर्तों का पालन करने हेतु सहमत न हों और क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर के समक्ष इस आशय का एक लिखित करार जमा न कर दें। अभिस्वीकृति हेतु सफल बोलीदाता की रसीद को या किसी भागीदार की रसीद को बाद में उपर्युक्तानुसार स्वीकृत किया [illegible] होगें और वह संविदा के किसी प्रयोजन हेतु पर्याप्त उन्मोचन होगा।
10. बोलीदाता को राज्य प्रदूषण मण्डल के राजस्थान स्थित किसी भी कार्यालय [illegible] कराने का 03 वर्षो का अनुभव होना आवश्यक है और कम से कम 05 सेवा निष्पादकों [illegible] संबंधित विभाग द्वारा जारी संतोषजनक कार्य अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है, केवल कार्य आदेश [illegible] होगा।

Signature valid
Digitally signed by Sa[illegible]a
Designation: Environmental Engineer
Date: 2025.05.13 [illegible]4:15:22 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15261350

11 बोली प्रपत्र स्याही से या टंकण से भरे जावेंगे। पेन्सिल से भरी किसी भी बोली पर विचार नही किया जावेगा। बोलीदाता प्रपत्र एवं शर्तों अथवा अन्य संबंधी दस्तावेजो के सभी पृष्ठों पर अपने हस्ताक्षर करेगा और मोहर अंकित करेगा, जो उसकी शर्तें स्वीकार करने का प्रमाण होगा।

12 दरे अंको एवं शब्दों दोनों में अंकित की जावेगी। इनमें किसी भी प्रकार की त्रुटि या उपरिलेखन नही किया जावेगा। ऐसा कोई है तो बोलीदाता को इस पर अपने लघु हस्ताक्षर मय दिनांक करने होंगे , अन्यथा बोली निरस्त कर दी जावेगी।

13 दरें बोली स्वीकृती की दिनांक से **31.03.2026** तक के लिए वैध एवं मान्य होगी। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया भी जा सकेगा।

14 राजस्थान लोक उपापन में पादर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एंव इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, प्रपत्र, गाईडलाईन आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेगें।

15 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।

16 राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक/बोलीदाता ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

17 संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातो में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत् संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

18 श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।

19 निविदादाता /संस्था द्वारा आपराधिक चरित्र/आपराधिक प्रकृति/न्यायालय में विचाराधीन वाद/न्यायालय द्वारा अपराध सिद्व दोषी सजायाफ्ता व्यक्ति को कार्य पर नही लगाया जावेगा इस हेतु पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

20 **श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर संवेदक/बोलीदाता को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।**

21 **संवेदक/बोलीदाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक/बोलीदाता का अंशदान शामिल होगा। संवेदक/बोलीदाता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक/बोलीदाता को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।**

22 संवेदक/बोलीदाता द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगे, जिन पर संवदेक का नाम संविदा अवधि, कार्य की प्रगति श्रमिकों हेतु Helpling नम्बर एवं संवेदक/ बोलीदाता द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने संबंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।

23 **राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.प्री.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।**

24 संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक/ बोलीदाता की ही होगी। संवेदक/बोलीदाता द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एंव सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्व के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।

25 श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों का पालना करने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता की होगी। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति के उसके परिणामों/ दायित्वों के लिये संवेदक/बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होगा।

26 यदि संवेदक/बोलीदाता एंव कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबंधकीय जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की होगी। इसके लिये क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

Signature valid
Digitally signed by Savita
Designation: Environmental Engineer
Date: 2025.05.13 14:15:22 IST
Reason: Approved

27 नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने का औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुवाअजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।

28 कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध में/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने /ई.एस.आई. करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा करने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा, इसके लिये इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

29 यदि संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत इस कार्यालय को प्राप्त होती है तो इसके संबंध में इस कार्यालय द्वारा श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित किया जायेगा और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक/बोलीदाता को Debar कराने की कार्यवाही की जायेगी।

30 यदि इस कार्यालय द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मद्देनज़र किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत कराता है, तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए, इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी 10 प्रतिशत की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के उपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को दिया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले संबंधित श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।

31 कम्प्यूटर ऑपरेटर विद मशीन, प्रयोगशाला परिचर, क्षेत्र सहायक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, बागवान (अंशकालीन), सफाई कर्मचारी (अंशकालीन) की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है। किसी न्यूनतम संख्या की गांरटी नहीं दी जायेगी एंव उपाप्त संख्या में कमी या उपाप्त नहीं करने की स्थिति में बोलीदाता किसी भी दावे या प्रतिकर का आधार नहीं होगा। कम्प्यूटर ऑपरेटर विद मशीन, प्रयोगशाला परिचर, क्षेत्र सहायक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, बागवान (अंशकालीन), सफाई कर्मचारी (अंशकालीन) की संख्या वृद्धि होने पर अनुबंधित संवेदक/ बोलीदाता द्वारा बोली की शर्त, निबंधन एवं दर आदेशित समय एवं स्थान पर कर्मचारी उपलब्ध करवाना होगा।

32 खुली बोली में सफल बोलीदाताओं/संवेदकों से, दर संविदाओं के अन्तिम मूल्यांकन में उनकी स्थिति कार्मिक स्थिति के क्रम में अति महत्वपूर्ण प्रकृति/अपेक्षित संख्या में कर्मचारी उपलब्ध करवाना न्यूनतम बोलीदाता की क्षमता से परे होने पर, समानान्तर दर संविदा की जा सकती है।

33 अनुबंधित बोलीदाता/संवेदक द्वारा संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिए उनकी कीमत कोट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन कर्मचारी कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तद्नुसार संशोधित की जायेगी।

34 इस कार्यालय द्वारा विद्यमान दर संविदाएं उसी कीमत निबंधनों और शर्तों पर तीन मास से अनधिक कालावधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी, यदि दर संविदा के अधीन कर्मचारी उपाप्त किये जाने या उसके घटकों की बाजार कीमते इस कालावधि के दौरान गिर न गयी हो।

35 बोली की विधि मान्यता बोली खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।

36 बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य ऐजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या भाड़े (Sub-Let) पर नहीं देगा।

37 जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाऐगी वह 03 दिवस में कर्मचारी उपलब्ध करवायेगा।।

38 मूल्यांकन की कसौटी– खुली बोली में सफल / क्वालिफाइड बोलीदाता/संवेदक की न्यूनतम कीमत के आधार पर बिड का मूल्यांकन किया जायेगा।

39 बोलियों का अपवर्जन :– अधिनियम की धारा 25 में उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।

40 अमानत राशि 19000/– का डी.डी. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर के नाम से निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा।

41 सफल निविदादाता कार्य पर जिन कर्मीयों को सविदा के आधार पर लगायेगा उनके नाम एव पते मय दो फोटो तथा शिक्षा एवं तकनीकी योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रो की प्रतियां कार्यदेश जारी होने की तिथि के पांच दिनो के अन्दर अन्दर कार्यालय मे प्रस्तुत करने होगें। अनुबन्ध की अवधि में यदि किसी कर्मी को बदला जाता है तो उसके बदले नये कर्मी का नाम पता मय फोटो तुरन्त ही प्रस्तुत करने होगें।

42 करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Agreement and Performance Security)–
(अ) बोली आंमत्रण में अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 7 दिन में सेवा के प्रदाय आदेश की रकम की पांच प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर के नाम पर जमा करानी होगी एवं राशि 500 रू. के

Signature valid
Digitally signed by Savita
Designation : Environmental Engineer
Date: 2025.05.13 14:15:22 IST
Reason: Approved

नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर. प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादन करना होगा।

(ब) सफल बोली लगाने वाले की दशा में कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि 07 दिवस में कार्यालय में जमा करानी होगी।

(स) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नही किया जायेगा।

43 कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण Security (Forfeiture of Work Performance Deposit) :—कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा :—

(क) जब संविदा की शर्तों का उल्लघंन किया गया हो।

(ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सेवा सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) जब बोलीदाता सेवा सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में सेवा की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जायेगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

44 भुगतानः—

(i) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल दो प्रतियों में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। अनुबंधित बोलीदाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल भुगतान हेतु आगामी माह के प्रारम्भ के 03 कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जायेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

(i) संवेदक द्वारा प्रस्तुत बिलो का भुगतान बजट की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।

45 बोली के निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार की समस्या/संदेह हो तो क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर से सम्पर्क किया जा सकता है।

मै/हम क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर द्वारा जारी की गई सीमित बोली सूचना............................ दिनांक........................में वर्णित समस्त शर्तो तथा संलग्न पत्रो (जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमे उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण मे हमने हस्ताक्षर कर दिये है) में दी गई उक्त बोली सूचना की समस्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है। साथ ही इस बात पर भी सहमति देते है कि मेरे/हमारे द्वारा बिड के साथ संलग्न किये गये समस्त दस्तावेजो की प्रमाणिकता की जॉच मेरे/हमारे द्वारा अपने स्तर पर कर ली गई है। सभी दस्तावेज विधिक/प्रक्रियात्मक एवं मौलिक रूप से सही है। यदि बिड प्रक्रिया या बिड प्रक्रिया के पश्चात् किसी भी स्तर पर उक्त दस्तावेजो की प्रमाणिकता असिद्व होती है तो इसके लिए मै/हम पूर्ण रूपेण उत्तरदायी रहूँगा/रहेगे एवं इसके लिए विभाग किसी भी स्तर पर किसी भी समय बिना नोटिस दिये हमारी बिड/अनुबंध को निरस्त करने/हमारे विरूद्व कानून/विधि सम्मत दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।

उपरोक्त शर्ते मेरे द्वारा पढ़ ली गई है जो मुझे स्वीकार है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम व पता

Signature valid
Digitally signed by Savita
Designation: Environmental Engineer
Date: 2025.05.13 14:15:22 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15261350

कम्प्यूटर ऑपरेटर का कार्य करने हेतु कार्य की शर्तें

1.

(i) कम्प्यूटर ऑपरेटर को विन्डोज/लाइनेक्स एन्वायरमेन्ट कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) ऑपरेटिंग सिस्टम का ज्ञान, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेड शीट व इन्टरनेट का ज्ञान/अनुभव एवं कार्यालय संबंधी कार्यो के निष्पादन हेतु कम्प्यूटर का कार्य करने तथा हिन्दी एवं अग्रेजी की टाईपिंग का ज्ञान होना आवश्यक है।

(ii) कर्मी स्वस्थ एवं न्यूनतम 18 वर्ष का होना चाहिये।

2. मशीनों का विवरण:—निविदादाता द्वारा स्थापित की जाने वाली मशीनों का निम्नानुसार होना आवश्यक/अनिवार्य है—

Intel® Core™ i7 Processors 6th Generation/1TB SSD/16GB RAM/1050Ti Graphic Card 6th Generation Intel® Core™ i7 Processor (16 GB RAM/NVIDIA GTX 1050 Ti 4 GB GDDR5 Graphics Card Graphics/1 TB SSD Capacity/Windows 10 Pro (64-bit)/4 GB Graphics Memory) Gaming Tower with MS Office, Processer Speed 3.2 GHz, Chipset H-110 ,(Width 28cm, Height 16 cm, Depth 32, Weight 5kg).

Details Description About Computer
Processor :Intel® Core™ i7 Processors 6th Generation/1TB SSD/16GB RAM/1050Ti
Graphic Card, Operating System- Windows 10 Pro (64-bit), Mother Board- ATX, Graphics- NVIDIA GTX 1050 Ti 4 GB GDDR5 Graphics Card/4 GB, Extranal Graphics- 4gb, Extral Graphics Memory 4 GB

Performance Features
Processor Type- 6th Generation Intel® Core™ i7 Processor, Cores- 4, Generation- 6th, Speed-3.2 GHz, Chipset- H-110
System Memory And Storage Features
RAM- 16GB , Memory Tech.- DDR3, 1 TB SSD, Socket Type- DDR4, Maximum System Memory- 32 GB, 8 MB Cache, Number of Memory- 2, Slots – Yes.
Power Supply- 450 W, Power Source- 230
Connectivity Features
Wi-fi- Yes, Bluetooth-No, LAN Cable- Yes, Ports- Front(2USB), 1 Audio
Cooling Features
Cooling Fans- 3, Fan Size- 12mm (Front) 12mm (Rear)
AdditonalFeatrures
Pre Installed Software- Trail Version Windows- 10

Printer:- Brand Brother/Any other Brand, Connectivity Technology – Wireless, Printing Technology – Laser, Special Feature Auto-Duplex, Color – Black & Other Suitable Color, Model Name HL-L2366DW or Other Equallent, Printer output Monochrome, Max Print Speed 30 ppm

Details Description About Printer
Printer type – Laser : Functionality – Single Function (Print 3only): Printer output – Mono

Connectivity – USB, Wifi, Wi-fi Direct, Ethernet : Power Source 220-240 V AC 50/60 Hz Pages per Minutes – 30 ppm

Printer Media Size Maximum Page Size Supported – A4. Letter, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal : Duplex Print –Auto

Genuine tonner Cartridges – TN- - 2365 Standard Toner Cartridge :Page Yield – 2600 Pages, as per ISO Standards

Compatible OS – Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 Edition, Windows Vista, Window 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server2003 x 64 Edition, Windows Server2008, Windows Server2008 R2, Windows Server2012, Windows Server 2012R2, Mac OS X v10.7.5/OS X v10.8 x / OS X v10.9 x : Ideal Usage – Small Office Home &

Signature valid
Digitally signed by Sav[illegible]a
Designation: Environmental Engineer
Date: 2025.05.13 14:15:22 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15261350

Included Components : USB Cable, Power Cord, Consumables, Quick Setup Guide and Driver CD, Print media, Paper (Plain) Scanner Type Flatbed, Max input Sheet Capacity : 250, Duel Sided Printing, Duplex Automatic , Hardware Interface : Ethernet

UPS:- Online/Offline UPS (Double Battery) for above Computer and Printer with 30 minutes battery backup.

3. निविदादाता एजेन्सी का सर्विस टैक्स/जीएसटी हेतु रजिस्ट्रेशन आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ इसके प्रमाण पत्र एवं साक्ष्य की प्रति संलग्न की जानी आवश्यक है

4. यदि कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाये सन्तोषप्रद नही पायी जाती है तो निविदादाता को तुरन्त इसके स्थान पर नया कम्प्यूटर ऑपरेटर लगाना होगा ।

5. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) पर कार्य करने वाले कर्मी हेतु प्रतिदिन 9.30 बजे से साय: 6 बजे तक कार्य सम्पादित करना होगा एवं इस अवधि को एक दिन का कार्य दिवस माना जावेगा। कार्य दिवस एवं कार्य समय राज्य सरकार द्वारा समय समय पर परिवर्तन किये जाने पर तदानुसार मान्य होगा।

6. कार्यालय में कार्य की अत्यावश्यकता को देखते हुए किसी भी दिन किसी भी समय कार्य करना होगा तथा इसके लिये अलग से कोई भुगतान नही किया जायेगा।

7. सफल निविदादाता कार्य पर जिन कर्मीयों को सविदा के आधार पर लगायेगा उनके नाम एव पते मय दो फोटो तथा शिक्षा एवं तकनीकी योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रो की प्रतियां कार्यदेश जारी होने की तिथि के पांच दिनो के अन्दर अन्दर कार्यालय मे प्रस्तुत करने होगें। अनुबन्ध की अवधि मे यदि किसी कर्मी को बदला जाता है तो उसके बदले नये कर्मी का नाम पता मय फोटो तुरन्त ही प्रस्तुत करने होगें।

8. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।

9. किसी भी तरह के न्यायिक विवादों का न्याय क्षैत्र, सीकर होगा।

10. किसी भी माह में चार दिवस से अधिक कम्प्यूटर बंद नही रखा जावेगा। इससे अधिक कम्प्यूटर बंद रहने पर 200/– प्रतिदिन प्रति कम्प्यूटर की दर से कटौती की जायेगी।

11. निविदादाता द्वारा निविदा सम्पादन के पश्चात् निविदा में अंकित/उल्लेखित कम्प्यूटर, प्रिन्टर्स, यूपीएस इत्यादि कार्यालय में उपलब्ध नही कराये जाने की स्थिति में राशि 500/– प्रतिदिन प्रति कम्पयूटर की दर से पैनल्टी लगाई जायेगी।

12. यदि निविदादाता द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले कर्मियों द्वारा किसी प्रकार के कानूनी पहलू अथवा न्यायिक कार्यवाही की जाती है तो निविदादाता संस्था/फर्म ही उसके लिये उत्तरदायी होगी। प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल उपरोक्त दायित्वों के लिये किसी भी प्रकार उतरदायी नही होगा।

13. उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त राजस्थान सरकार के नियमानुसार समय–समय पर जारी की जाने वाली अन्य शर्ते मान्य होगी।

14. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने पूर्ण अधिकार क्षैत्रीय अधिकारी को होगा।

दिनांक

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर
नाम मैसर्स ....
पता ....

Signature valid
Digitally signed by Savita
Designation : Environmental Engineer
Date: 2025.05.13 14:15:22 IST
Reason: Approved

प्रयोगशाला परिचर की कार्य सम्पादन हेतु सामान्य शर्तें

1. प्रयोगशाला परिचारक को प्रतिदिन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यालय समयानुसार डयूटी देनी होगी। कार्यालय में कार्य की आवश्यकता को देखते हुए किसी भी दिन किसी भी समय कार्य करना होगा तथा इसके लिये अलग से कोई भुगतान नही किया जावेगा।
2. किसी भी प्रयोगशाला परिचारक के अनुपस्थित रहने की दशा में निविदादाता को अन्य प्रयोगशाला परिचारक को तत्काल उपलब्ध करवाना होगा, अन्यथा प्रतिदिन 200 रूपये प्रति प्रयोगशाला परिचारक की दर से शास्ती वसूल की जावेगी जिसे सेवाप्रदाता का स्वयं वहन करना होगा।
3. निविदादाता को श्रम नियम कानून की पालना करनी होगी।
4. निविदादाता के प्रयोगशाला परिचारक की डयूटी समय में कार्य के दौरान किसी प्रकार की चोरी व नुकसान होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति निविदादाता को करनी होगी।
5. प्रयोगशाला परिचारक का कार्य कुशल न होने, अनुशासन में नहीं रहने, लापरवाही बरतने पर निर्देशानुसार कर्मचारी बदलना होगा।
6. प्रयोगशाला परिचारक के आवश्यक दस्तावेज यथा आधार कार्ड, वोटर आईडी, आयु प्रमाण पत्र प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करने होगे।
7. प्रयोगशाला परिचारक को रखे जाने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण एंव चरित्र प्रमाण पत्र , पुलिस वैरीफिकेशन कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
8. किसी भी प्रकार का विवाद में क्षेत्रिय अधिकारी राप्रनिम सीकर का निर्णय ही अन्तिम मान्य होगा।
9. राज्य सरकार द्वारा प्रयोगशाला परिचारक के सम्बन्ध में समय समय पर जारी आदेश/नियम निविदादाता को मान्य होंगे।
10. सवेंदक द्वारा अयोग्य एंव अवयस्क व्यक्तियों को जोब पर नही लगाया जावेंगा, उपलब्ध कराये गये कार्मिक के क्रम में सेवाप्रदाता पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा। कार्मिकों की न्यूनतम आयु 18 एंव अधिकतम 50 वर्ष होगी।
11. सेवाप्रदाता एजेन्सी द्वारा जोब बेसिस पर उपलब्ध कराये जाने वाले कार्मिक पूर्णतः अस्थायी होंगे तथा अनुबन्ध की समाप्ति होते ही कार्मिकों की कार्य अवधि स्वतः ही समाप्त हो जावेगी।
12. किसी भी विवाद में क्षेत्रिय अधिकारी राप्रनिम सीकर का निर्णय ही अन्तिम निर्णय होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर
नाम व पता

Signature valid

Digitally signed by Savita
Designation: Environmental Engineer
Date: 2025.05.13 14:15:22 IST
Reason: Approved

क्षेत्र सहायक की कार्य सम्पादन हेतु सामान्य शर्तें

1. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, के राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवता प्रबोधन परियोजनान्तर्गत (National Ambient Air Quality Monitoring Programme) सीकर स्थित तीनों स्थानों पर वायु प्रदूषण मापने वाली मशीनों से प्राप्त वायु नमूनों का (Air Samples) सम्बन्धित आकडो (National Air Quality Monitoring, Data Sheet) सहित विश्लेषण संबधित कार्य करना ।
2. क्षेत्र सहायक (Field Assistant)/कर्मी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उच्च माध्यमिक/सीनियर सैकण्डरी परीक्षा उतीर्ण होनी आवश्यक है ।
3. क्षेत्र सहायक को प्रतिदिन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यालय समयानुसार ड्यूटी देनी होगी। कार्यालय में कार्य की आवश्यकता को देखते हुए किसी भी दिन किसी भी समय कार्य करना होगा तथा इसके लिये अलग से कोई भुगतान नही किया जावेगा।
4. किसी भी क्षेत्र सहायक के अनुपस्थित रहने की दशा में निविदादाता को अन्य क्षेत्र सहायक को तत्काल उपलब्ध करवाना होगा, अन्यथा प्रतिदिन 200 रूपये क्षेत्र सहायक की दर से शास्ती वसूल की जावेगी जिसे सेवाप्रदाता का स्वयं वहन करना होगा।
5. क्षेत्र सहायक का कार्य कुशल न होने, अनुशासन में नहीं रहने, लापरवाही बरतने पर निर्देशानुसार कर्मचारी बदलना होगा।
6. क्षेत्र सहायक के आवश्यक दस्तावेज यथा आधार कार्ड, वोटर आईडी, आयु प्रमाण पत्र प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करने होगे।
7. क्षेत्र सहायक को रखे जाने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण एंव चरित्र प्रमाण पत्र , पुलिस वैरीफिकेशन कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
8. किसी भी प्रकार का विवाद में क्षेत्रिय अधिकारी राप्रनिम सीकर का निर्णय ही अन्तिम मान्य होगा।
9. राज्य सरकार द्वारा प्रयोगशाला परिचारक के सम्बन्ध में समय समय पर जारी आदेश/नियम निविदादाता को मान्य होंगे।
10. सवेंदक द्वारा अयोग्य एंव अवयस्क व्यक्तियों को जोब पर नही लगाया जावेंगा, उपलब्ध कराये गये कार्मिक के क्रम में सेवाप्रदाता पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा। कार्मिकों की न्यूनतम आयु 18 एंव अधिकतम 50 वर्ष होगी।
11. सेवाप्रदाता एजेन्सी द्वारा जोब बेसिस पर उपलब्ध कराये जाने वाले कार्मिक पूर्णतः अस्थायी होंगे तथा अनुबन्ध की समाप्ति होते ही कार्मिकों की कार्य अवधि स्वतः ही समाप्त हो जावेगी।
12. किसी भी विवाद में क्षेत्रिय अधिकारी राप्रनिम सीकर का निर्णय ही अन्तिम निर्णय होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर
नाम व पता

Signature valid

Digitally signed by Savita
Designation: Environmental Engineer
Date: 2025.05.13 14:15:22 IST
Reason: Approved

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का कार्य सम्पादन करने हेतु कार्य की शर्ते

1. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को प्रतिदिन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यालय समयानुसार (सुबह 9:30 – सांय 6.00 बजे) ड्यूटी देनी होगी। कार्यालय में कार्य की आवश्यकता को देखते हुए किसी भी दिन किसी भी समय कार्य करना होगा तथा इसके लिये अलग से कोई भुगतान नही किया जायेगा।
2. किसी भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अनुपस्थित रहने की दशा में निविदादाता को अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को तत्काल उपलब्ध करवाना होगा, अन्यथा प्रतिदिन 200 रूपये की दर से अलग से शास्ती भी वसूल की जावेगी जिसे सेवाप्रदाता को स्वंय वहन करना होगा।
3. राज्य सरकार द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी आदेश/नियम निविदादाता को मान्य होगें।
4. सेवाप्रदाता एजेंसी द्वारा जॉब बेसिस पर उपलब्ध कराये जाने वाले कार्मिक पूर्णतः अस्थायी होंगे तथा अनुबुंध की समाप्ति होते ही कार्मिको की कार्य अवधि स्वतः ही समाप्त हो जावेगी।
5. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से सामान्यतः कार्यालय में स्थापित टेबल, कुर्सी, बैंच, अलमारी आदि की सफाई करना, अधिकारियो एवं कर्मचारियो हेतु पीने का पानी भरना, कार्यालय की पत्रावलियों, फाईलो, रिकार्ड इत्यादि को आदेशानुसार लाना एवं ले जाना, कार्यालय फर्नीचर को व्यवस्थित रखना एवं प्रभारी द्वारा बताये गये अन्य कार्य करने होगे।
6. निविदादाता/संस्था इस कार्य सम्पादन हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले व्यक्ति की सूची मय फोटो तथा योग्यता प्रमाण पत्रो के संलग्न करेगा।
7. निविदादाता /संस्था द्वारा कार्य पर लगाये गये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की आयु 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।
8. निविदादाता /संस्था द्वारा आपराधिक चरित्र/आपराधिक प्रकृति/न्यायालय में विचाराधीन वाद/न्यायालय द्वारा अपराध सिद्व दोषी सजायाफ्ता व्यक्ति को कार्य पर नही लगाया जावेगा इस हेतु पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
9. निविदादाता /संस्था को राज्य मण्डल के अवधाता प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जब भी निर्देश हेतु बुलाया जावेगा तो वह तुरन्त उपस्थित होगा।
10. श्रम एवं अन्य सम्बन्धित कानूनों की पालना करने पर अथवा अनुबन्ध की शर्तो का अल्लघंन करने पर एवं कार्य सन्तोषजनक नही पाये जाने पर बिना नोटिस दिये ठेका समाप्त किया जा सकता है ।
11. निविदादाता /संस्था नियोजित श्रमिको के सम्बन्ध मे उत्पन्न होने वाली किसी भी सेवा/श्रमिक सम्बन्धी विवाद मे दायित्व ठेकेदार/संस्था को होगा तथा क्षेत्रीय कार्यालय से उनका कोई सम्बन्ध नही होगा । निविदादाता /संस्था द्वारा नियोजित श्रमिको के सम्बन्ध मे औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों की पालना हेतु निविदादाता /संस्था पूर्णतः जिम्मेदार होगा।
12. यदि अनुबंध के सम्बन्धित कार्यो के सम्पादन मे किसी प्रकार की लापरवाही पायी जाती है एवं इसके लिये निविदा शर्तों/कार्यालय में शास्ति **(Penalty)** का स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है तो ऐसे कार्यो में लापरवाही या किसी प्रकार की शास्ति क्षैत्रीय अधिकारी द्वारा आरोपित की जा सकेगी ।
13. निविदादाता द्वारा चुकाये जाने वाली किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति/दंड एवं शास्ति **(Compensation and Penalty)** की राशि ठेकेदार को देय किसी भी प्रकार के भुगतान अथवा कार्य प्रतिभूति राशि में से वसूल करने का अधिकार मण्डल को होगा।
14. उक्त शर्तो के अतिरिक्त सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियमो की शर्ते व विनियम भी ठेकेदार/संस्था को स्वीकार्य होगा।
15. इस निविदा के सम्बन्ध मे अथवा इसके तहत निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध के संबंध मे कोई न्यायिक विवाद किसी भी सक्षम न्यायालय मे उत्पन्न होता है अथवा पूर्व के ठेके का कोई विवाद न्यायालय मे लम्बित हो और माननीय न्यायालय द्वारा यदि कोई दिशा निर्देश पारित किये जाये तो माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना ठेकेदार/संस्था द्वारा सुनिश्चित की जानी होगी चाहे वह प्रकरण में पक्षकार हो अथवा नही हो।
16. मण्डल कार्यालय द्वारा किसी भी परिस्थिति में यदि उक्त परियोजनार्थ कोंई विकल्प प्राप्त कर लिया जाता है तो एक माह के पूर्व नोटिस के बाद संविदा समाप्त की जा सकेगी।
17. इस निविदा के सम्बन्ध मे अथवा इसके तहत निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध को शर्तो की व्याख्या अथवा अनुबन्ध से सम्बन्धित किसी भी मामले में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इस विवाद पर क्षैत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, सीकर का निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार/संस्था को मान्य होगा।
18. लगातार सात कार्य दिवसो पर लापरवाही अथवा कार्मिक उपलब्ध नही करने पर ठेका निरस्त किया जा सकेगा एवं कार्य प्रतिभूति राशि पूर्ण रूप से जब्त कर ली जायेगी तथा उसकी जोखिम पर सफल निविदादाता की दर पर कार्य संस्था (प्राथमिकता के आधार पर निविदा में द्वितीय स्थान अथवा तृतीय स्थान पर रही फर्म/संवेदक की सहमति से) क्षैत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म. सीकर की स्वीकृति से करवाया जा सकेगा।
19. किसी भी प्रकार के न्यायिक विवाद का क्षैत्राधिकार सीकर होगा।

Signature valid
Digitally signed by Savita
Designation: Environmental Engineer
Date: 2025.05.13 14:15:22 IST
Reason: Approved

20. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त राजस्थान सरकार के नियमानुसार समय–समय पर जारी की जाने वाली अन्य शर्ते मान्य होगी।

21. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने पूर्ण अधिकार क्षैत्रीय अधिकारी को होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

नामः ....

पताः ....

Signature valid

Digitally signed by Savita
Designation : Environmental
Engineer
Date: 2025.05.13 14:15:22 IST
Reason: Approved

कार्यालय हेतु बागवान का कार्य सम्पादन करने हेतु कार्य की शर्ते

1. फर्म के द्वारा एक बागवान (अंशकालीन) को चार घण्टे से कम की डयूटी में लगाया जावेगा, ताकि समुचित कार्य हो सके। ड्यूटी हेतु समय का निर्धारण समय–समय पर क्षेत्रीय अधिकारी, सीकर द्वारा किया जावेगा।
2. प्रत्येक बागवान को छः दिन लगातार ड्यूटी करने का एक विश्राम दिया जावेगा।
3. राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी दरो में संशोधन करती है जो नियमानुसार संशोधित दरे लागू होगी।
4. फर्म द्वारा लगाये गये बागवान अनुभवी होना चाहिए, ड्यूटी में कमी होने पर उसे तुरन्त बदल दिया जावेगा।
5. संविदा पर कार्य करने के फलस्वरूप संबंधित बागवान को इस विभाग मे अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी प्रकार की नियुक्ति का हक नही बनेगा व एग्रीमेन्ट के अतिरिक्त कोई भत्ता देय नही होगा।
6. बागवान की सेवाऐं सन्तोषप्रद नहीं होने अथवा कार्यालय में प्रतिदिन नही आने पर 200/– रूपये प्रतिदिन की कटौती की जावेगी।
7. कार्यालय परिसर स्थित बगीचे के रख–रखाव, साफ–सफाई की पूर्ण जिम्मेदारी बागवान की होगी। बागवान को गार्डन में लगी हुई धास एंव पौधों की कटाई, मौसम अनुसार गमलों एवं गार्डन के चारों ओर फुलवारी लगाना, पैड पौधों की देखभाल, उनमें पानी एंव खाद तथा कीटनाशक डालना आदि कार्य करने होंगें। इस हेतु आवश्यक औजार, धास कटाई मशीन सवेंदक द्वारा ही उपलब्ध करायी जावेगी तथा पेड पौधे गमले खाद इत्यादि कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जावेगी।
8. निविदा दाता की अन्य कोई शर्ते मान्य नहीं होगी।
9. अधोहस्ताक्षकर्ता को अन्य किसी भी निविदा को स्वीकृत/ अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा।
10. प्रभावी श्रम एवं अन्य सम्बन्धित कानूनों के तहत प्रावधायी निधि (EPF) एवं बीमा (ESI) और जीएसटी आदि की राशि जमा करवाने एवं अन्य वित्तिय अथवा कानूनी दायित्व ठेकेदार/संस्था के होगें इस हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान क्षैत्रीय कार्यालय द्वारा नही किया जावेगा।
11. श्रम एवं अन्य सम्बन्धित कानूनों की पालना न करने पर अथवा अनुबन्ध की शर्तो का अल्लघंन करने पर एवं कार्य सन्तोषजनक नही पाये जाने पर बिना नोटिस दिये ठेका समाप्त किया जा सकता है साथ ही किसी भी स्थिति में बाल श्रम का नियोजन नहीं किया जावेगा।
12. ठेकेदार/संस्था नियोजित श्रमिको के सम्बन्ध मे उत्पन्न होने वाली किसी भी सेवा/श्रमिक सम्बन्धी विवाद मे दायित्व ठेकेदार/संस्था को होगा तथा क्षेत्रीय कार्यालय से उनका कोई सम्बन्ध नही होगा ।
13. ठेकेदार/संस्था द्वारा नियोजित श्रमिको के सम्बन्ध मे औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों की पालना हेतु ठेकेदार/संस्था पूर्णतः जिम्मेदार होगा । इस सम्बन्ध में यदि क्षैत्रीय कार्यालय को कोई राशि व्यय करनी पडी तो वह ठेकेदार/संस्था के लम्बित भुगतान से वसूल की जायेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम एंव पता

Signature valid
Digitally signed by Savita
Designation : Environmental Engineer
Date: 2025.05.13 14:15:22 IST
Reason: Approved

सफाई कर्मचारी का कार्य सम्पादन करने हेतु कार्य की शर्ते

1. सफाई कार्मिक को प्रतिदिन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यालय समयानुसार ड्यूटी देनी होगी। कार्यालय में कार्य की आवश्यकता को देखते हुए किसी भी दिन किसी भी समय कार्य करना होगा तथा इसके लिए अलग से कोई मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा। सामान्यतः सफाई कर्मचारी द्वारा कार्यालय खुलने के समय से पूर्व कार्यालय की साफ–सफाई किया जाना होगा।
2. किसी भी सफाई कार्मिक के अनुपस्थित रहने की दशा में निविदादाता को अन्य सफाई कार्मिक को तत्काल उपलब्ध करवाना होगा।
3. कार्यालय सफाई हेतु आवश्यक सामग्री उपापन संस्था द्वारा ही उपलब्ध करवाई जावेगी। जिसका लेखा–जोखा निविदादाता को रखना होगा एवं पूर्व में उपलब्ध करवाई गई सामग्री के उपयोग का पूर्ण विवरण कार्यालय को दिये जाने पर ही नवीन सामग्री कार्य प्रयोजनार्थ दी जावेगी। दी गई सामग्री में किसी भी प्रकार की कमी–बेशी की सम्पूर्ण जिम्मेवारी निविदादाता की रहेगी।
4. निविदादाता के सफाई कार्मिक की ड्यूटी समय में कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की चोरी व नुकसान होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति निविदादाता को करनी होगी।
5. सफाई कार्मिक के ड्यूटी पर आने जाने व ड्यूटी समय में कार्य के दौरान किसी भी तरह की घटना–दुर्घटना होने पर समस्त जिम्मेदार निविदादाता की होगी।
6. ड्यूटी पर तैनात कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार का व्यसन लेना, नशा करना, ताश, खेलना अथवा किसी भी प्रकार की अनैतिक आचरण नहीं करेगा।
7. सफाई कार्मिक का कार्य कुशल न होने, अनुशासन में नहीं रहने, लापरवाही बरतने पर क्षेत्रीय कार्यालय निर्देशानुसार कर्मचारी को बदलना होगा।
8. सफाई कर्मचारी को इस प्रयोजनार्थ लिये जाने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
9. सफल बोलीदाता न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार पारिश्रमिक के भुगतान के संबंध में स्वयं जिम्मेदार होगा तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित समस्त करों के संबंध में सम्पूर्ण दायित्व सफल बोलीदाता का होगा। न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी की शिकायत प्राप्त होने पर निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा तथा नियमानुसार निविदादाता के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
10. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये सभी कर्मियों के साथ घटित किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिये मण्डल उत्तरदायी नहीं रहेगा। इस निविदादाता अपने स्तर पर कामगारों को आवश्यक व उचित रूप से बीमा करवाने का बाध्य होगा।
11. किसी भी प्रकार की क्षति के लिए क्षति पूर्ति का दायित्व निविदादाता का होगा।
12. किसी भी निविदा को स्वीकृत /अस्वीकृत करने का अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म. सीकर के पास सुरक्षित रहेगा।
13. सफाई कार्मिक घटाने/बढ़ाने का अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म. सीकर के पास सुरक्षित रहेगा।
14. राज्य सरकार द्वारा सफाई कार्मिक के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी आदेश/नियम निविदादाता को मान्य होगे।
15. सफाई कार्मिक के आवश्यक दस्तावेज यथा आधार कार्ड, वोटर आई. डी., आयु प्रमाण–पत्र एवं शैक्षणिक योग्यता से सम्बन्धित दस्तावेजं कार्यालय में प्रस्तुत करने होगें।
16. क्षेत्रीय अधिकारी या उनकी ओर से अधिकृत अधिकारी किसी भी समय सफाई कार्य का निरीक्षण कर सकता है।
17. किसी भी विवाद में क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म. सीकर का निर्णय ही अन्तिम निर्णय होगा। सभी विवादों को न्यायिक क्षेत्र, सीकर न्यायालय ही रहेगा।
18. क्षेत्रीय कार्यालय परिसर में एकत्रित कचरे को किसी भी स्थिति में परिसर में नही जलाया जायेगा। शर्त का उल्लंघन दण्डनीय होगा। यदि फर्म/ठेकेदार के सफाई कार्मिक कार्य के दौरान कार्यालय की किसी चल / अचल सम्पति को नुकसान पहुंचाता है तो उसकी वसूली ठेकेदार के बिल / प्रतिभूति राशि से की जावेगी।

Signature valid

Digitally signed by Savita
Designation : Environmental Engineer
Date: 2025.05.13 14:15:22 IST
Reason: Approved

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील
....

RajKaj Ref No.: 15261350

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any Person Participating in a procurement process shall –

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation ;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process ;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or in directly, to any party or to its property to influence the procurement process ;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclosed any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity;

Conflict of interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest.

A. Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interest that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

1A Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to;

Signature valid
Digitally signed by Sarika
Designation: Environmental Engineer
Date: 2025.05.13 14:15:22 IST
Reason: Approved

a. have controlling partners/ shareholders in common, or

b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or

d. have a relationship with each other directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder; or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process participation by a Bidder in more then one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Good, Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer – in – charge / consultant for the contract.

Signature valid

Digitally signed by Savita
Designation: Environmental Engineer
Date: 2025.05.13 14:15:22 IST
Reason: Approved

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualification

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid Submitted to..for procurement of ....in response to their Notice Inviting Bids No. .... Dated.............................. I/We hereby declare under section 7 of Rajasthan Transparency in public Procurement Act .2012, that:

1. I/We Possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity ;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/We do not have, and our directors and officers not have been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings.
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Ac, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:....................

Palace:..................

Signature of bidder

Name:...

Designation:.................................

Address:..

Signature valid

Digitally signed by Savita
Designation: Environmental Engineer
Date: 2025.05.13 14:15:22 IST
Reason: Approved

Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is **Member Secretary,RSPCB Jaipur**

The designation and address of the Second Appellate Authority is **Chairperson, RSPCB Jaipur**

(1) **Filing an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision of action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved;

Provided that after the declaration of a Bidder successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceeding;

Provided further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the Bidder or prospective Bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) **Appeal not to lie in certain cases.**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidder in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality;

Signature valid

Digitally signed by Savita
Designation: Environmental Engineer
Date: 2025.05.13 14:15:22 IST
Reason: Approved

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non – refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the may be, upon filing of appeal shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fixed date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall;

(i) Hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies there of relating to the matter;

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of document and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority Concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Signature valid
Digitally signed by Savita
Designation: Environmental Engineer
Date: 2025.05.13 14:15:22 IST
Reason: Approved

FORM No. 1 [See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....

of...

Before the .... (First /Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :
   (i) Name of the appellate:
   (ii) Official address, if any:
   (iii) Residential address:
2. Name and address of the respondent(s):
   (i)

   (ii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative;
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal:
   ....
   ....

   (Supported by an affidavit)

7. Prayer:
   ....
   ....

Place:.................

Date:..................

Appellant's Signature

Signature valid

Digitally signed by Savita
Designation: Environmental Engineer
Date: 2025.05.13 14:15:22 IST
Reason: Approved

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid this substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids of the following basis :

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected ; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount is words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unite prices or other terms and conditions of the Bid and the condition of the contract.

(ii) If the Procuring Entity Does not procure any subject matter of procurement or procures less then the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

Signature valid

Digitally signed by Savita
Designation: Environmental Engineer
Date: 2025.05.13 14:15:22 IST
Reason: Approved

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more then 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more then one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidder in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature valid

Digitally signed by Savita
Designation : Environmental Engineer
Date: 2025.05.13 14:15:22 IST
Reason: Approved